वर्ष 4, अंक 66

राष्ट्र महिला

अप्रैल, 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम यद्यपि सन् 1929 से प्रवर्तित है, उसके बावजूद भी देश के विभिन्न भागों में बाल विवाहों में जो बाढ़ सी आ गयी है उससे राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत चिंतित है। अनेक राज्यों में ये विवाह आखा तीज के आसपास होते हैं जो इस बार 11 मई, 2005 को पड़ रही है। इस अधिनियम द्वारा बाल विवाह पर रोक लगा दी गयी है, फिर भी यह प्रथा राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में धड़ल्ले से प्रचलित है।

इस मुख्य फारण यह है कि उक्त अधिनियम की मौजूदगी मात्र कागज पर है और यह माता-पिताओं को अपने नाबालिग पुत्र-पुत्रियों का विवाह करने से रोकने में असफल रहा है। इसमें एक विरोधाभास यह है कि यद्यपि यह सभी अल्पायु विवाहों को गैर-कानूनी करार देता है, पर उन्हें निरस्त नहीं करता। इसलिए बड़ी निडरता के साथ इसका उल्लंघन होता है और कभी किसी की धरपकड़ नहीं की जाती। इस बात के बावजूद कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, पुलिस द्वारा कदाचित ही कोई कार्यवाही की जाती है। केवल तीन मास तक के कारावास का मामूली दंड दर्शाता है कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती।

यद्यपि कानूनी वैवाहिक आयु स्त्रियों के लिए 18 वर्ष और पुरूषों के लिए 21 वर्ष है, जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के 64 लाख भारतीय विवाहित हैं और 18 वर्ष से कम आयु की 13 लाख लड़कियां विधवा हो चुकी हैं और अन्य 56 हज़ार तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह विधा अधिक है, किन्तु शहरों में भी उतनी कम नहीं है जैसी कि आशा की जानी चाहिए।

1929 के अधिनियम की खामियों को दूर करने वाला एक नया बाल विवाह निषेध विधेयक, 2004, संसद की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। किन्तु केवल विधान ही काफी नहीं होगा। अल्पायु लड़कियों के विवाह पर उनकी दुर्दशा को देखते हुए, आयोग का

चर्चा में बाल विवाह

मानना है कि जब तक सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, मात्र कानून से यह प्रथा समाप्त नहीं हो सकती और तदनुसार उसने इस सामाजिक बुराई को प्रभावशाली रूप से रोकने के लिए राज्य सरकारों को कुछ सुझाव दिए हैं। कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं ग्राम-स्तरीय समितियों का गठन, बाल विवाह से संबंधित दस्तावेजों का समुचित रख-रखाव तथा ग्राम/पंचायत स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति।

आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा बिहार की सरकारों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि बाल विवाहों को रोकने के लिए उपरोक्त कदम उठाएं। आयोग इन राज्यों का दौरा करेगा और विभिन्न सरकारी अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, महिला और बाल विकास विभाग तथा पंचायत राज विभाग के अधिकारियों से मिलेगा। जिन जिलों में बाल विवाहों की बहुलता है, आयोग वहां के जिलाधीशों तथा पुलिस अधीक्षकों से भी मिलेगा।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि विवाहों के पंजीकरण तथा युगल की आयु के सत्यापन से संबंधित मामलों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाये। जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, शिक्षा विभाग तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा जन सामान्य एवं विद्यार्थियों को बाल विवाह से उत्पन्न दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। अल्पायु विवाह का सबसे भयानक परिणाम लड़कियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है जो कम उम्र में मातृत्व का बोझ उठाने लायक नहीं होती, जो अपने बचपन से वंचित रह जाती हैं और कमजोर बच्चे उत्पन्न करती हैं जिसके फलस्वरूप प्रसव मृत्यु-दर तथा बाल मृत्यु-दर बढ़ जाती है।

इसके अतिरिक्त, इनमें से अनेक बाल-दूल्हे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी बाल-दुल्हनों को गांवों में छोड़कर शहरी क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। बाद में वे शहरी क्षेत्र की अन्य महिलाओं से विवाह कर अपनी पहली पत्नियों को त्याग देते हैं।

निस्संदेह, इस व्याधि की जड़ें इतनी गहरी और व्यापक हैं कि न्यायालयों एवं पुलिस कार्यवाही द्वारा इस पर नियंत्रण पाना आसान नहीं है। समाज में ढांचागत परिवर्तन लाने की क्रिया ओर अंततोगत्वा परिवार पर समाज के दबाव के द्वारा ही इस सामाजिक बुराई पर काबू पाया जा सकता है।

सदस्यों के दौरे

● सदस्या निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के नरसिंहपुर में महिला कशीदाकारों की एक जन सुनवाई में भाग लिया। पश्चिम गोदावरी में ऐलरू जिला मुख्यालय में उन्होंने एक सरकारी अस्पताल का भी मुआइना किया। अस्पताल की महिला नर्सों की यौन उत्पीड़न की शिकायत की उन्होंने जांच की । बाद में उन्होंने ऐलरू के मादीपल्ली तथा सनीवरपेठ क्षेत्रों के सूती और ऊनी कालीन कामगारों से बात की। सदस्या ने पश्चिम सिक्किम तथा गंगटोक में क्रमश: कृषि में महिलाओं तथा पुष्प उद्योग में महिलाओं पर जन सुनवाइयों में भाग लिया।

● सदस्या नफीसा हुसैन ने 'दिशा' द्वारा उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में आयोजित महिला सशक्तिकरण महोत्सव के अवसर पर आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया।

● सदस्या अनुसुइया उइके 15 अप्रैल को रायपुर (छत्तीसगढ़) गयीं जहां उन्होंने आयोग द्वारा प्रारंभ ''बाल विवाह निषेध अभियान'' के संबंध में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित एक पुनरीक्षा बैठक में भाग लिया।

● 14 अप्रैल को सदस्याएं अनुसुइया उइके, नफीसा हुसैन और विधि अधिकारी का एक जांच दल रांची गया और एक मामले की जांच-पड़ताल की जिसमें कि एक 50 वर्षीय महिला को ग्राम पंचायत द्वारा नग्न घुमाने का दंड इसलिए दिया गया था कि उसका लड़का एक लड़की को भगा ले गया था। यह घटना रांची की सरहद पर स्थित बस्की गांव में घटी थी। बाद में, सदस्याओं ने ''बाल विवाह विरोध अभियान'' के संबंध में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित एक पुनरीक्षा बैठक में भाग लिया।

गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक गरीब लड़कियों की सहायता करेगा

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के गुजरात मंडल ने लड़कियों के सहायतार्थ एक अनोखी योजना तैयार की है। गुजरात में बैंक की सभी 444 शाखाओं को कम से कम एक लड़की को दत्तक लेकर उसे पढ़ाई की सभी आवश्यक वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने का परामर्श दिया गया है जैसे स्कूल की फीस, पुस्तकों का खर्चा बस, से आने-जाने की व्यवस्था तथा व्यक्तिगत रख-रखाव के लिए एक छोटी सी राशि।

अध्यक्षा ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग के अधिवेशन में भाग लिया

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास 'महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग' के 49वें अधिवेशन में भाग लेने न्यूयार्क स्थित संघ के मुख्यालय गयीं। इस अधिवेशन में 'बीजिंग कार्यवाही मंच 1995' को स्वीकार किए जाने के 10वें समारोह में उसके क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी।

उपस्थित प्रतिनिधियों ने ज़ोर देकर कहा कि विकास के लिए तथा गरीबी कम करने के लिए महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता प्रमुख घटक हैं और सभी राष्ट्रों से सब क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव दूर करने के उपाय करने का आग्रह किया। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग ने ऐसे कई क्षेत्रों की पहचान की जहां अब भी लिंग समानता प्राप्त की जानी है और दो सप्ताह के इस अधिवेशन के अंत में सभी सरकारों से इन चुनौतियों का सामना करने को कहा।

तत्काल ध्यान दिए जाने वाले मुद्दों में शामिल हैं विश्व के सभी भागों में, विशेषकर सशस्त्र संघर्ष के समय, महिलाओं के प्रति घोर हिंसा, महिलाओं में एचआईवी/एड्स का बढ़ता प्रकोप, यौन एवं प्रजनन अधिकारों की कमी और भूमि तथा संपत्ति पर समान कानूनी अधिकार का अभाव।

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास 'महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग' के 49वें अधिवेशन में। उनके पार्श्व में हैं सुश्री रीता बहुगुना, सुश्री नफीसा अली, सुश्री जयंती नटराजन।

डॉ. गिरिजा व्यास (बांये से तृतीय) एशिया पेसिफिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए

विचार-विमर्श और परामर्श बैठक

''बीजिंग-10 के बाद लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उपलब्धियां एवं चुनौतियां'' विषय पर 7 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार-विमर्श और परामर्श बैठक आयोजित की गयी। बैठक का उद्देश्य आगामी गुट निरपेक्ष राष्ट्र सम्मेलन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए महिला कार्यकत्ताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा प्रारंभ करना है। बैठक में अनेक गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया जैसे जायंट वीमेन प्रोग्राम, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, वीमेन पावर कनेक्ट, वाई.डब्ल्यू.सी.ए., महिला दक्षता समिति, आल इंडिया वीमेंस कांफ्रेंस आदि।

अपने उद्घाटन संबोधन में, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच एक निकट और सतत संवाद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिला समानता और सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर भारत को सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगुआई करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें विद्यमान सरकारी नीतियों का समुचित और सामयिक कार्यान्वयन करें।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में जाने से पूर्व एक न्यूनतम कार्यकारी एजेंडा तैयार कर लिया जाना चाहिए ताकि संभव, व्यवहार्य तथा स्थान-विशिष्ट सिफारिशें निकाली जा सकें। चर्चा के दौरान निम्नलिखित सुझाव आये :

★ अधिकतर भागीदारों ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गयी पहलों की सराहना की और आयोग से ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने और उनका चयन करने के लिए एक कार्य दल की नियुक्ति की अपील की जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, अफ्रीकी-एशियाई शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आदि में उठाया जा सके।

★ सरकारी नीतियों के कार्यन्वयन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को राज्य स्तरीय अध्ययन करने चाहिए।

★ उठाए गये अन्य मुद्दे थे :

- ❖ विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण।
- ❖ सार्वजनिक कार्यालयों और नीतियों में महिलओं की भूमिका।
- ❖ महिलाओं के प्रति हिंसा।
- ❖ बालिकाओं के अधिकार।
- ❖ भूमि के स्वामित्व के अधिकार सहित महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।

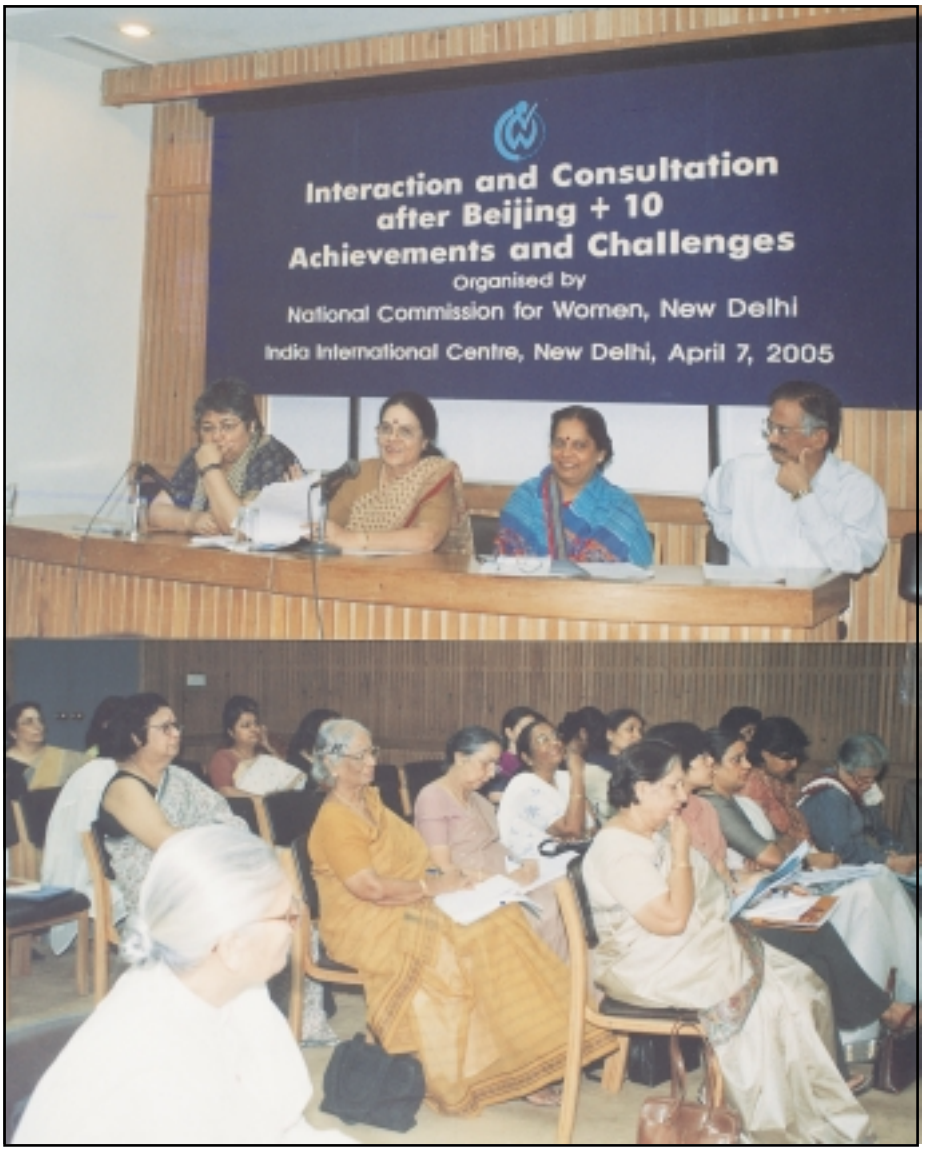

परामर्श बैठक में (बांये से) सुश्री पारूल देवी दास, डॉ. गिरिजा व्यास, डॉ. सुधा मलैया, श्री एन.पी. गुप्ता (नीचे) श्रोतागण।

यह भारत है

किसी बाघ द्वारा भक्षण कर लिए जाने से बचाव के लिए, भुवनेश्वर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक जनजातीय लड़की का विवाह बाजे-गाजे के बीच एक कुत्ते से कर दिया गया।

लड़की के दांतों के विकास में कुछ ''असामान्यता'' आ गयी थी और पलासुमी के जनजाति बहुत समुदाय बस्ती की परम्परा के अनुसार उस लड़की को इस रिवाज का शिकार बनना पड़ा।

लड़की के माता-पिता की अनुमति से विवाह ''संपन्न'' किया गया।

महत्वपूर्ण निर्णय

बलात्कार की शिकार एक नाबालिग लड़की के पिता द्वारा दायर की गयी एक याचिका पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसी परिस्थिति में गर्भपात कराना अपराध नहीं माना जायेगा।

निर्णय में कहा गया : ''वर्तमान याचिका में आरोपी पर लगाए गये आरोप सही हैं या नहीं, यह बात उतनी सार्थक नहीं है; सार्थक पहलू यह है कि लड़की पर किए गये कथित बलात्कार के परिणामस्वरूप वह इस समय गर्भवती है। ऐसी स्थिति में, जबकि पीड़िता मानसिक संताप से त्रस्त है, उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है और इस दशा में किसी रजिस्टर्ड डाक्टर से उसका गर्भ समापन कराया जाना अनुमत होगा और अपराध नहीं माना जा सकता।''

साहसी महिलाएं

लाठी-धारी साहसी महिलाओं की गश्त के फलस्वरूप दुर्ग जिले के कम से कम 48 गांव गत दो मास के दौरान अपराध-युक्त हो गये हैं।

इन गांवों में महिला मंडलों के सदस्यों द्वारा गश्त किए जाने से जुआ खेला जाना और अवैध शराब बनाना बंद हो गया है और यहां तक कि चोरियां भी रूक गयी हैं।

अपने-अपने महिला मंडलों द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र धारण किए, ये महिलाएं अपने गांवों से गुजरने वाले ट्रकों की तलाशी लेकर देखती हैं कि उनमें शराब अथवा समाज-विरोधी तत्व तो नहीं ले जाये जा रहे। यदि कोई ड्राइवर तलाशी का विरोध करता है, तो ये महिलाएं लाठी का प्रयोग करती हैं। परिणाम यह हुआ है कि शराब के बड़े ठेकेदारों ने फुटकर विक्रेताओं को शराब सप्लाई करने से इस डर से इनकार कर दिया है कि महिलाएं हमला करेंगी या उस खेप को नष्ट कर देंगी।

जनानी सुरक्षा योजना को मंत्रिमंडल की स्वीकृत

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जनानी सुरक्षा योजना को स्वीकृति दे दी है। मातृत्व लाभ प्रदान करने वाली यह योजना राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लेगी।

पूर्णतया केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह योजना 19 वर्ष और उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी जिनके परिवार गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर करते हैं। प्रथम दो जीवित जन्मों के मामलों में महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा।

परन्तु अल्प उपलब्धियों वाले राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, असम तथा जम्मू-कश्मीर में यह योजना तीसरे बच्चे के जन्म पर भी लागू होगी बशर्ते कि हितग्राही महिला शिशु जन्म के तुरन्त बाद अपनी नसबन्दी कराने को तैयार हो।

इस योजना का उद्देश्य प्रसूति तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है और यह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं पर केन्द्रित है। यह जन्म-पश्चात देखभाल और संस्थागत जनन को प्रोत्साहन करती है जो न केवल माता के लिए आवश्यक हैं, अपितु नवजात के स्वास्थ्य तथा जीविता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

योजना में, शिशु को जन्म देने वाली माता और सहायता करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार 200 रु. से 800 रु. तक का आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है।

माता-शिशु आंकड़े

गर्भ संबंधित मृत्युएं : गर्भधारण के दौरान विषमताएं पैदा होने से प्रति वर्ष 5 लाख महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। (प्रति मिनट एक मृत्यु) भारत में यह मृत्युदर प्रति 1 लाख जन्मों पर 540 है।

5 वर्ष के कम आयु में मृत्युएं : 5 वर्ष से कम आयु के 1 करोड़ 11 लाख बच्चों की प्रति वर्ष मृत्यु होती है (लगभग 3000 प्रति दिन) भारत में यह संख्या प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 87 मृत्युएं है।

विश्व व्यापी आंकड़े (वार्षिक) :

- चालीस लाख शिशुओं की मृत्यु उनके जन्म के एक मास के अंदर हो जाती है।
- तीस लाख बच्चे मृत पैदा होते हैं।
- 99 प्रतिशत माता-शिशु मृत्युएं विकासशील देशों में होती हैं।

भारतीय आंकड़े (वार्षिक)

- जन्म के समय मौजूद 43 प्रतिशत परिचारिकाएं कार्य कुशल होती हैं।
- जन्म-पश्चात देखभाल 50 प्रतिशत।
- बाल विवाह दर 46 प्रतिशत।

विदेश समाचार

नार्वे की संसद ने 2002 में कंपनियों से कहा था कि वर्ष 2005 के मध्य तक उनके बोर्डों में कम से कम 40 प्रतिशत सदस्य पुरूष व महिला होने चाहिए जिसका आशय था कि यहां भी समाज के अन्य क्षेत्रों की भांति लिंग समानता की नॉर्डिक परम्परा को कायम रखा जाये। अनेक कंपनियों ने यह कह कर इस योजना की आलोचना की है कि व्यवसाय क्षेत्र में लिंग समानता की यह समस्त विश्व की कठोरतम योजना है।

''वर्ष 2002 के बाद से कंपनी बोर्डों में महिलाओं का प्रतिशत 6 से बढ़ कर केवल 11 हुआ है।''

अब एक अपूर्व समानता अभियान के अंतर्गत नार्वे ने निर्णय लिया है कि जो कंपनियां वर्ष 2007 तक अपने बोर्डों में कम से कम 40 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति नहीं करेंगी उन्हें बन्द कर दिया जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें वैबसाइट
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। फोन : 23237166, फैक्स : 23236154
अभिनव प्रिंट्स, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन